शोध मंथन Vol. XVI No.4 Oct.- Dec. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.77

''एक देश एक चुनाव'' का भविष्य एवं चुनौतियाँ

प्राप्तिः 28.12.25
स्वीकृतः 10.12.25

77

डॉ. चन्द्रलोक भारती
एसोसिएट प्रोफेसर
प्रिंसिपल महिला कॉलेज खगड़िया
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार
ईमेलः*clbharti21@gmail.com*

सारांश

भारत एक लोकतांत्रिक सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है, जहाँ चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र का स्तम्भ है। नागरिकों को हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप आकर देने में सक्षम बनाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'एक राष्ट्र, एक चुनाव भारत सरकार द्वारा देश के बाद सभी चुनावों को एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर सम्पादित करने को प्रस्ताव एक चुनौती बनी हुई है, जहाँ एक लोकसभा और सभी 28 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों की राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करना की योजना वृहत एवं चुनौती पूर्ण प्रस्ताव है। चूँकि भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाले राष्ट्र है जहाँ राष्ट्रीय दलो की अपेक्षा क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं संख्या कई गुणा अधिक है। स्वतंत्रता की भूमिका एवं संख्या कई गुणा अधिक है। स्वतंत्रा के बाद से अब तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लगभग 400 से भी अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पादित हुए है। हालांकि अलग–अलग विधान सभाओं और बार–बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे ''एक राष्ट्र'' एक चुनाव की अवधारणा में रूचि फिर से जागृत हो गई है।

एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य–चुनावों के लिए किए जाने वाले प्रबंध से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षावलों पर तनाव कम करना, सरकारी नीतियों का समय पर क्रियानिक्त पर प्रशासानिक ध्यान केन्द्रित करना, एवं चुनावों के कारण कामकाज में होने वाले व्यवधानों को कम करना है।

प्रस्तावना

भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव'' 129 वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2024 को संसद के पटल पर एक उच्च स्तरीय समिति की रिर्पोट के साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए व्यापक

रूपरेखा प्रस्तुत किया है, यह समिति 1 सितम्बर 2023 को केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव योजनाओं के तहत भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति के सदस्य इस प्रकार है :– प्रधानसचिव – डॉ0 नितेन चंद्रा केन्द्रीय गृह मंत्री–अमित साह, केन्द्रीय कानून मंत्री – अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय नेता– अधीर रंजन चौधरी, राज्य सभा में विपक्ष के पूर्व नेता–अधीर रंजन चौधरी, राज्य सभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नवी आजाद, 15 वें वित्र आयोग के अध्यक्ष एन० के० सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव – डॉ० सुभाष सी० कश्यप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त – संजय कोठारी 2 सितम्बर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। 14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समिति द्वारा तैयार 18000 पन्नों की अंतिम रिर्पोट भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।

जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्टभूमि का आध्ययन करते है तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधान सभाओं 1951–52, 1967 तक एक साथ आयोजित किये गये थे। यह परम्परा 1952, 1957, 1962 एवं 1967 के आम चुनावों तक जारी रही। यह चक्र पहली बार 1959 में टुटा जब केन्द्र ने तत्कालीन केरल सरकार के ई० एम० एस० नंबूदरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त के लिए संविधान के अनच्छेद 356 (राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता) को लागू किया गया। एवं प्रति दल–बदल के कारण 1960 के बाद कई विधान सभाएं भंग हो गई, जिसके कारण लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए। 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई और 1971 में नए चुनाव हुए। आपातकाल की घोषणा के कारण पाँचवी लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 352 (बाह्य आक्रमण) के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद केवल 8 वीं, 10 वीं, 14 वीं, और 15 वीं, लोकसभा अपना पाँच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकी जबकि, छठी, सातवी, नौवी, ग्यारवी, बारहवी, और तेरहवी लोकसभा समय से पहले ही भंग कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों से राज्य विधान सभाओं को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विधान सभाओं को समय से पहले भंग किया गया। इन घटना क्रमों ने एक राष्ट्र, एक चुनाव आने वाली समय के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं।

चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिया कि वर्ष 1967 के बाद एक साथ चुनाव का जो सिलसिला टूटा, उस कड़ी को फिर से जोड़ने की कवायद लगभग 16 वर्षो तक रही। वर्ष 1983 में चुनाव आयोग ने पहली बार अपनी वार्षिक रिर्पोट में सुझाव दिया कि लोक सभा के साथ–साथ राज्य विधानसभा का भी चुनाव एक साथ कराये जाने चाहिए। लेकिन तत्तकालीन सरकार ने चुनाव आयोग के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया।

हालांकि 1999 विधि आयोग की सिफारिश न्यायमूर्ति बी० पी० जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में चुनावी कानूनों में सुधार पर अपनी रिर्पोट में एक साथ चुनाव कराये जाने की वकालत की थी। विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि शासन में स्थिरता सुनिश्चित करने के चुनाव एक साथ और सभी राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ ही होने चाहिएं हर वर्ष और वेमौसम चुनाव का सिलसिला

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.77

समाप्त किया जाना चाहिए। 30 अगस्त 2018 को न्यायमूर्ति बी० एस० चौहान की अध्यक्षता में Law Commission Of India अपनी रिर्पोट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढाँचे के तहत एक साथ चुनाव नहीं कराये जा सकते है। इसके लिए संविधान के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और विधान सभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करना होगा। साथ ही कम से कम 50% राज्यों को संशोधन को स्वीकार करना होगा।

संसदीय स्थायी समिति की रिर्पोट 17 Dec 2015

एम सुरर्दना मचियपप्न ने एक साथ चुनाव कराये जाने की वकालत की, जिसमें समिति ने रिर्पोट में कहा है कि बार बार चुनाव होने से बहुत अधिक पैसे खर्च होते है, साथ ही सामान्य जीवन पर असर पड़ता है और जरूरी सेवाएं प्रभावित होती है। चुनाव आयोग के द्वारा लागू 'आदर्श आचार संहिता' लागू होने के कारण विकास कार्य प्रभावित होते है। चुनाव के लिए लम्बे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती एवं उस पर काफी तनाव एव बोझ पड़ता है।

नीति आयोग की रिर्पोट :–

एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में नीति आयोग अपनी रिर्पोट में कहा कि देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता है इन चुनावों के चलते विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते है।

- चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किये जाने वाले इन लाखों मानव–घंटे की लागत की गणना नहीं की जाती है।
- नीतिगत पक्षाघात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण सरकार किसी नई महत्त्वपूर्ण नीति की घोषणा या उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकती है।
- प्रशासनिक लागतें जैसे सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा बार–बार उनके परिवहन पर भी भारी और दृश्यमान लागत आती है।
- संवेदनशील क्षेत्रों से इन बलो को हटाने और जगह जगह बार बार तैनाती के कारण होने वाले खर्च एवं परेशानी तथा कई बीमारियों से परेशान सुरक्षाबल को कठिनाईयों का सामना एवं राष्ट्र को एक बडी अदृश्य लागत का भुगतान करना पड़ता है।

वर्तमान सरकार ने लोकसभा में दो (02) संविधान संशोधन विधेयकों ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' 129 वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केन्द्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को संसद के पटल पर रखा गया।

भारत में चुनाव से सम्बन्धित :–

संवैधानिक प्रावधानः–

भारतीय संविधान के भाग XV (अनुच्छेद 324–329) में प्रावधान किया गया है कि चुनाव और उनसे संबंधित मामलो के लिए आयोग की स्थापना हो सम्बन्धित है।

- Article :- 324 : यह निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने का अधिकार देता है।

- Article :- 325: इस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के सभी चुनावों के लिए एकल निर्वाचन नामावली की स्थापना का प्रावधान करता है।
- Article :- 326: यह अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- Artic

le :- 82: और 170 इस अनुच्छेद में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अनिवार्य किये जाने से सम्बन्धित है।

- Article :-372: इस अनुच्छेद में सशोधन प्रस्तावित है, जिसमें ''निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन'' के बाद एक साथ चुनाव कराने को शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य विधान सभा चुनावों पर संसद की शक्ति का विस्तार होगा।

चूँकि इस विधेयक में स्थानीय निकायों और नगरपालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया गया है।

''एक राष्ट'' एक चुनाव के कार्यानिवत करने के लिए संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RPA) में महत्त्वर्पूण संशोधन की आवश्यकता होगी, जिससे संभवत इसके मूल ठाँचे में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत एक तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी तथा भारत के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

एक राष्ट एक चुनाव की नए सँवैधानिक अनुच्छेद में परिवर्तन करना होगा जहाँ लोकसभा सदन से 2/3 बहुत एवं राज्य सभा से भी 2/3 बहुत से पारित करनी होगी। मुख्य रूप से कई संवैधानिक संशोधन करने होगे जो एक चुनौती बनी हुई है। अनुच्छेद 82A एक साथ चुनाव कराने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा नियत तिथि अंकित करने वाली अधिसूचना लागू करना नियत तिथि के बाद गठित सभी विधान सभा लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त करना, अनुच्छेद 327 में संशोधन करके एक साथ चुनाव कराने के लिए संसद की शक्ति का विस्तार करना होगा।

अनुच्छेद – 83 और 172 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधान सभा के लिए पूर्ण अवधि और अवधि समाप्त की शब्दावली को स्पष्ट करना होगा। भंग विधान समाओं के स्थान पर गठित विधान सभा आगामी एक साथ होने वाले चुनावों से पहले केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेंगे। अर्थात सम्पूर्ण संवैधानिक चुनाव सम्बन्धी अनुच्छेद और संसद तथा राज्य विधान सभा की निर्वाचन नियामावली में संशोधन एवं परिवर्तन करना होगा। संसद में दूसरा विधेयक एक नया अनुच्छेद 324 (A) प्रस्तावित करता है, जो संसद को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। कि स्थानीय चुनाव आम चुनावों के साथ–साथ है। अनुच्छेद 325 (2) प्रावधान के तहत सभी चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रबंध ECI द्वारा किया जाएगा। जिससे राज्य निर्वाचन आयोगों की भूमिका परामर्शी क्षमता तक सीमित हो जाएगी। त्रिशंकु विधान सभा में गतिरोध को रोकने के लिए दल–बदल विरोधी कानून को संशोधित करना होगा। अतिरिक्त सुनम्यता के लिए चुनाव अधिसूचना जारी करने की छह महीने की सीमा बढ़ाना होगा।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.77

One Nation one Election से संबंधित चुनावों को जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निर्वाचन आयोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रता को सबर्द्धित करना होगा। इसमें एक साथ चुनाव कराने के लिए तकनीकी अवसंरचना को उन्नत एवं मानव संसाधन में वृद्वि करना होगा। मतदान के लिए अधिक EVM, और VV PAT प्रणालियों में निवेश करना होगा। इतना ही नहीं एक साथ चुनाव कराने के लिए 15 वर्षों में EVM को बदलना होगा। जाहिर है ऐसे में EVM की लागत बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 15 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रू० की आवश्यकता होगी इसके साथ ही चुनाव कराने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। साथ ही चुनावों को प्रभावी ढ़ग से प्रबंधित करने के लिए मतदाता पंजीकरण, मतदान और परिणाम सारणोकरण के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना होगा। सबसे मुख्य कार्य एक साथ चुनावों के कुशल प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों और हित धारको के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित करना होगा।

एक राष्ट्र एक चुनाव को कुशल रूप से सम्पादित करने के लिए अन्तराष्ट्रीय सहभागिता, अनुभवों के सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनो के साथ सहभागी करना होगा। क्योंकि वैश्विक स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होगी। कई ऐसे देश हैं जहाँ राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, फिलीपींस, ब्रिटेन फॉंस, अमेरिका इत्यादि। इन राष्ट्रो में चुनाव की प्रकृति एवं द्विदलीय पद्वति तथा क्षेत्रीय दलों की उदासीनता एवं मतदाताओ की राष्ट्रीयता की भावना एवं राष्ट्रीय चरित्र हैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रति समर्पित है, वही भारत जैसे विकासशील राष्ट्र जहाँ बहुदलीय प्रणाली के साथ विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग क्षेत्र भाषा भाषी के लोग रहते है सभी प्रांतो क्षेत्रों वर्गो, धर्मो की अलग–अलग क्षेत्रीय समस्याएँ हैं जो एक राष्ट्र एक चुनावों के चुनौती से कम नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए व्यापक जन– जागरूकता एवं अनुकूल चुनावी वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए सभी विपक्षी पाटियों के विचार पर आम राय बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय दलों को लगता है कि लोकसभा के साथ विद्यानसभा के चुनाव कराने का अधिकतम लाभ राष्ट्रीय दलों को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और क्षेत्रीय मुद्दे दब जायेंगे। इससे राज्यों के विकास एवं क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान प्रभावित हो सकते है। और क्षेत्रीय दलो की आवाज दब सकती हैं। इसी कारण अनेक क्षेत्रीय दल एक साथ चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं।

रामनाथ कोविन्द समिति की प्रमुख सिफारिशें

समिति ने सिफारिश में कहा कि चुनाव को दो चरण मे ंकराये जायेगे। प्रथम चरण में लोक सभा अपनी और विधान सभाओं के लिए चुनाव होगें जबकि दूसरे चरण में नगरपालिका और पंचायत के चुनाव होगें। लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव (नगरपालिका व पंचायत) होने चाहिए।

सभी चुनावों में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में आवश्यक संशोधन किये जाय। इन सबको निर्वाचन आयोग की सलाह से तैयार किया जाए।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि अगले चुनाव को 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ समन्वित करने के लिए प्रत्येक विधान सभा का कार्यकाल कम किया जाए। अर्थात जो पार्टी 2025 का दिल्ली चुनाव का परिणाम आयेगा, वह केवल चार वर्ष तक सत्ता मे रहेंगी और जो पार्टी 2028 का कर्नाटक चुनाव जीतेगी, वह केवल 12 महीने तक ही सत्ता में बनी रहेगी, इसके बाद उसे फिर से चुनाव में उतरना होगा। समिति की ये सिफारिश वास्तव में चुनाव आयोग और संवैधानिक संशोधन के लिए चुनौती बनी हुई हैं।

एक देश एक चुनाव को लेकर बनी उच्च स्तरीय समिति व्यापक विचार–विमर्श के बाद तैयार रिर्पोट में 191 दिन का समय लगा। समिति ने विभिन्न हित धारको के विचारों को समझने के लिए व्यापक विचार–विमर्श किया। इसमें 47 राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार समिति के साथ साझा किये, जिनमें 32 राजनीतिक दलों ने न केवल एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, बल्कि संसाधनों की बचत समाजिक तालमेल बनाये रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए इस विकल्प को अपनाने की वकालत की जबकि 15 राजनीतिक दलों ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया। जनता की राय जानने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गयी जिसके प्रत्युत्तर में पूरे भारत से नागरिकों के 21558 सुझाव प्राप्त हुए, उसमें से 80% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। भारत के चार मुख्य न्यायाधीशों और प्रमुख उच्च न्यायालयों के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, भारत के चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, 08 राज्य चुनाव आयुक्तों और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जैसे कानून विशेषज्ञों को समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की राय भी माँगी गयी थी। अलग–अलग चुनाव कराये जाने के आर्थिक प्रभावों के बारे में जानने के लिए सी आई आई फिक्की एसो चैम जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठनों और प्रख्यात अर्थशास्त्रीयों की भी राय जानी गयी। उन सभी ने कहा कि अलग–अलग चुनाव कराये जाने से मँहगाई बढ़ती हैं और अर्थव्यवस्था धीमी होती हैं। (रिर्पोट– प्रभात खबर भागलपुर 17.12.2024, पेज, 11 आरती श्रीवास्तव)

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की चुनौतियाँ भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के लिए चुनौती ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी समीक्षा करना आवश्यक प्रतीत होता हैं। हाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आम चुनाव राज्यों की विधान सभा एवं लोकसभा चुनाव 1960–70 के दशक तक करया गया था लेकिन समय काल और परिस्थितियों के साथ चुनावी रणनीतियाँ चुनाव आयोग एवं विभिन्न समितियों के माध्यम से परिवर्त्तन होता रहा हैं, चुँकि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रो में जहाँ बहुदलीय प्रणाली वाले देशों मे राष्ट्रीय दलों की अपेक्षा क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं दवाब हावी रहा हैं, इसलिए समय की माँग और बढ़ती हुई जनसंख्या के अुनपात में सुरक्षा व्यवस्था एवं चुनावी बजट एक चुनौती बनी हुई हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय दल एवं

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.77

क्षेत्रीय दल अपने–अपने दलीय हित के सिद्धांत एवं समझौता के तहत कार्य करती हैं किसी एक सिद्धांत या समझौता पर सहमती नहीं बन पाती हैं इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की चुनौतियाँ जमीन कर नहीं उतर पाता हैं। लोकतंत्र की भावना एवं चुनावो के कृत्रिम चक्र को थोंपना और मतदाताओं के चयन की आजादी को सीमित करता हैं। एक साथ चनावों को देश में लागू करना लगभग असंभव प्रतीत होता हैं, क्योकि इसके राज्यों की विधानसभाओ के कार्यकाल में कटौती के साथ उनकी चुनाव तिथियों को देश के विभिन्न भागों के लिए नियत तारिख के अनुरूप लाने के लिए उनके कार्यकाल में वृद्धि करना होगा। आज के इस डिजिटल युग में एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय मुद्दे प्रभावित हो सकते है, क्योकि राष्ट्रीय मुद्दे चुनावी विमर्श पर हावी हो सकते हैं। छोटे क्षेत्रीय दलों को अधिक धन और अधिक प्रभाव वाले देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में कठिनाईयाँ हो सकती हैं। इसके साथ ही एक साथ चुनाव आयोजित करने से भारत निर्वाचन आयोग एवं सुरक्षा तंत्रो के संसाधनों एवं क्षमताओं पर भारी दवाब पड़ेगा। आज डिजिटल चुनावी प्रक्रिया के लिए EVM एवं VVPAT मशीनों की बड़ी मात्रा में खरीद की आवश्यकता होगी। इस में लागत एक अनुमान के रूप में 9284.15 करोड़ रू० की हो सकती हैं रसद सम्बंन्धी चुनौतियाँ के कारण चुनावों की सत्य निष्ठा और सुचारू कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ सकता हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रवत्ति के लिए विविध दृष्टिकोंण को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनाने के साथ विभिन्न राष्ट्रीय दलों क्षेत्रीय दलों विभिन्न छोटे–छोटे दवाब समूहों, प्रबुद्ध नागरिकगण, सामाजिक संगठनों, विशेषज्ञों के बीच एक मजबूत एवं व्यापक संवाद और आम सहमति बनाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग के साथ विभिन्न आयोगों, केन्द्र और राज्यो के बीच उचित वातावरण बनाना होगा।

सन्दर्भ

1. एनसीईआरटी, चुनाव और प्रतिनिधित्व पृ० सं०–**51**
2. https://www.legal service india.com/legal/article – 1763
3. https://www.jagranjosh.com/grnralknowledge/one-nation-one-election 1561032672
4. https://www.degloorcollege.in/Researchpaper/340.pdf
5. https://www.drishtiias.com/hindi/daily updates
6. https://www.jagranjosh.com/one-nation-one-election
7. https://hindi.webdunia.com/my-blog/ek-desh-ek-chunav-11907020013
8. https://www.amarujala.com/indianews/one-nation-one-election-if-it is possible-Then what will be the constitutional process
9. https://www.sanskritias.com/hindi/news-articals/one-nation-one-election-27
10. https://www.indiatoday.in/india/story/one-ntion-one-election-prism
11. https://www.2thepoint.in/possibility-of-one-nation-one-election
12. https://www.insightsonindia.com/2019/06/17/one-nation-one-election
13. https://www.timessofindia.indiatimes.com/Indiaone-nation-one-election